भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2423

09 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम

2423. डॉ.कलानिधि वीरास्वामी:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
डॉ.सुकान्त मजूमदार:
श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ.जयंत कुमार राय:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के तहत अब तक स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का विशेष रूप से तमिलनाडु और असम सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) तमिलनाडु और असम में इस योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की संख्या का ब्यौरा क्या हैं;
(घ) अब तक निर्धारित लक्ष्य और हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;
(ड.) क्या सरकार का ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में 22 शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों, जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और
(च) सरकार को/द्वारा इस संबंध में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या मांगें प्राप्त हुई हैं/कार्रवाई की गई?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2018-19 के लिए बजट घोषणा के अनुसरण मे मंत्रालय ने नवंबर 2018 में 500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) मूल्य श्रृंखला के समेकित विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "ऑपरेशन ग्रीन्स-" का शुभारंभ किया।

अल्पावधि मूल्य स्थिरीकरण उपायों के अंतर्गत, आधिक्य स्थिति के दौरान परिवहन और भंडारण के लिए 50% की दर से, उत्पादन अधिशेष क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक (टीओपी) फसलों को निकालने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है । इसके अलावा, आत्म निर्भर भारत अभियान के अनुसरण में, टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों से यह सब्सिडी छह महीने की अवधि के लिए कुल 41 अधिसूचित बागवानी फसलों (टोटल) तक बढ़ा दी गई है, यदि कीमतें पिछले तीन वर्षों के लिए औसत कीमतों से नीचे या पिछले साल के मूल्य से 15% कम हैं। इस योजना को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

इस योजना के तहत 50 प्रतिशत की दर से परिवहन सब्सिडी सभी फलों और सब्जियों के लिए 12.10.2020 से किसान रेल योजना में दी गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र राज्यों से हवाई मार्ग से ले जाए जा रहे सभी फलों और सब्जियों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने और जम्मू-कश्मीर से सेब के परिवहन और/या भंडारण के लिए नेफेड के माध्यम से पात्र संस्थाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए योजना दिशा-निर्देशों में और संशोधन किया गया ।

दीर्घावधि एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास के अंतर्गत, प्रमुख उत्पादक राज्यों में चिन्हित समूहों में टमाटर, प्याज और आलू के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत (एफपीओ और एससी/एसटी के मामले में 70 प्रतिशत) की दर से अनुदान-सहायता प्रदान की जाती है, बशर्ते कि अधिकतम 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना हो।

(ख):- 2018-2019 से आवंटित धन और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	**बीई**	**आरई**	**एई**
2018-19	0.00	200.00	5.50
2019-20	200.00	32.48	2.84
2020-21	127.50	38.20	32.20 (03.03.2021 की स्थिति के अनुसार)

योजना के तहत राज्य-वार फंड का आवंटन नहीं है ।

(ग):- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दीर्घकालिक उपायों के तहत प्रमुख उत्पादक राज्यों में चिन्हित समूहों में टमाटर, प्याज और आलू के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना का प्रावधान है। तमिलनाडु और असम टमाटर, प्याज और आलू के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों की सूची में नहीं हैं।

तदापि, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत विभिन्न बागवानी फसलों के लिए उत्पादन समूहों जैसे करेला, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, खीरा, ओकरा, पपीता, अनानास, आलू असम के लिए और गाजर, पैशन, फ्रूट, आमला, केला, बीन्स, अमरूद, आम, पपीता, प्याज, टमाटर तमिलनाडु के लिए पहचान की गई है ।

(घ):- दीर्घकालिक उपायों के तहत, मंत्रालय ने 363.30 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 6 एकीकृत मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें 136.82 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता शामिल है, जिससे 46,950 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजन की उम्मीद है; 3.36 लाख मीट्रिक टन/सालाना प्रसंस्करण सुविधा; लगभग 35,000 किसानों को लाभ पहुंचेगा और लगभग 18,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगें ।

(ड़) और (च):- माननीय वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की है कि कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य वर्धन और उनके निर्यात को बढ़ावा को देने के लिए, वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) पर लागू ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा 22 खराब होने वाले उत्पादों तक बढ़ाया जाएगा ।

खराब होने वाले उत्पाद जिन्हे चिन्हित किया गया है निम्नानुसार है:-

फल: आम, केला, सेब, अनानास, नारंगी, अंगूर, आंवला/आंवला, अनार, अमरूद, लीची;

सब्जियां: मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, करेला, ओकरा, लहसुन, अदरक;

समुद्री: झींगा;

*****